"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 जनवरी 2011—पौष 21, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक 232/डी. 05/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 01 सन् 2011) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्रमांक 1 सन् 2011)

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2010

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है, और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (एक) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2010 कहलाएगा.

   (दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्र. 25 सन् 1991 को अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा-3, में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

3. मूल अधिनियम के प्रथम अनुसूची में मद-पांच के उप-मद (ख) का लोप किया जाना.

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2011

क्रमांक 232/डी. 05/21-अ/प्रा./छ. ग./11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 01 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. पाराशर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 1 of 2011)

THE CHHATTISGARH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ORDINANCE, 2010

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991).

Promulgated by the Governor in the Sixty-first year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Ordinance 2010.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Chhattisgarh Adhiniyam No. 25 of 1991 to be temporarily Amended.

2. During the period of operation of this ordinance, the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to the amendment specified in section-3.

Amendment of first schedule.

3. In the First Schedule of the Principal Act, sub-item (b) of item-V, shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.